

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद हरिद्वार।

ईमेल—cfohdr.ukfs@gmail.com

फोन नं०—01334—265700

पत्रांक: न-6/सीएफओ-आर/2024

दिनांक: अप्रैल 01, 2024।

स्वामी/प्रबन्धक,  
श्री चन्द्र शेखर सीनियर सेकेण्डरी पब्लिक स्कूल,  
देहरादून रोड, रुड़की, जनपद हरिद्वार।

विषय: अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के Annual Clearance के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवेदन यूनिट नम्बर—58077591, दिनांक: 24.03.2024 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रुड़की द्वारा किया गया, प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रुड़की की निरीक्षण आख्या दिनांक: 30.03.2024 के अनुसार निरीक्षण के दौरान अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था फायर एक्सटिंग्यूशर, होजरील, टैरिस पम्प, टैरिस टैंक, फायर बकेट, इत्यादि का कार्यशील दशा में होना अंकित किया है।

उपरोक्त भवन/संस्थान एक स्कूल भवन है। भवन में कुल G+2 तल है। भवन/संस्थान के प्लॉट का क्षेत्रफल 15378 वर्ग मी० है तथा उक्त भवन का क्षेत्रफल (Covered Area) 1808 वर्ग मी० है भवन/संस्थान की ऊँचाई 10.04 मी० है। भवन/संस्थान में बेसमेन्ट नहीं है।

अतः उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग-03 की अधिसूचना संख्या-342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून दिनांक: 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में दिनांक: 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2027 (03 वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाये।

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्तों तथा सीढ़ियाँ प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
6. संस्थान की अग्निशमन व्यवस्था के कार्यशील एवं एन.बी.सी. 2016 के मानकानुसार अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण होने का स्व-घोषण प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य है।
7. यदि उपरोक्त अग्निशमन सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान के किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा।

APPENDIX - XII

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. 58077591

Dated:

Certified that the SHRI Chandra Shekher S.S. Public School (name of the building or premises) at 247667 (address) comprised of Basnagar, Roorkee Dist. Haridwar Uttarakhand (address) comprised of ..... basement(s) and ..... (upper floors) owned/ occupied by ..... (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 29.03.2024 (date of inspection) in the presence of ..... (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy upto classes ..... ( X/ XII) With effect from ..... for a period of ..... year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

- 1.
2. attached fire NOC (Accordingly)
- 3.
- 4.

Issued on 1.04.2024 (date of issue) at ..... (place) by

\*Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal: [Signature]  
 Name : शशि सुन्दर पाल  
 Designation : PSO

Name & Address of Department/ Office: Fire Station Roorkee

To  
 (Name & Address of the Institution) नोट: उक्त शिक्षण संस्थान को पूर्व में दि. 01.04.2024 को मुद्रय हासि शमन अधिकारी महोदय द्वारा निशुल्क NOC पत्रिका नं. 6/संशुक्रको - डार/2024 दिनांक: 01.04.2024 को जारी के अनुसार/शरीर के अनुमूलन आवश्यक है। जिसके साक्षात् पर प्रह पत्र दिया जा रहा है।

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate Issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to ..... (reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

\* The filled up certificate should be either In Hindi or English. If It Is issued In vernacular language, translated notarized version In English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.